

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र

क्रमांक : 40 / जयपुर / 2011-12

यह प्रमाणित किया जाता है कि न्यू जनता पब्लिक शिक्षण संस्थान, बिचून जिला- जयपुर का रजिस्ट्रेशन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28,1958) के अंतर्गत दिनांक इक्कीस अप्रैल दो हजार ग्यारह को किया गया था।

इस संस्थान का नाम परिवर्तित कर न्यू संस्कार एज्यूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसाइटी, जिला जयपुर दिनांक बारह फरवरी दो हजार सोलह को कर दिया गया था।

अब इस संस्थान का नाम परिवर्तित कर किरण ज्योति सामाजिक विकास एवं शिक्षण संस्थान, जिला जयपुर कर दिया गया है। यह परिवर्तन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के प्राधानान्तर्गत किया गया है।

यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से दिनांक बारह
फरवरी दो हजार ग्यारह को जयपुर में जारी किया गया।



किरण ज्योति सामाजिक विकास एवं शिक्षण संस्थान
जयपुर

रजिस्ट्रार (संस्थाएं)
रजिस्ट्रार (संस्थाएं)
एवं उम रजिस्ट्रार
सहकारी समितियों जयपुर